

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक :— सू.अ.प्र. / 2012 /

दिनांक

कार्यालय—आदेश

कुलपति महोदय के आदेशानुसार तथा इस संदर्भ में पूर्व आदेश सं. 2954 दिनांक 19.6.2006 एवं 3767 दिनांक 20.12.2008 के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के आगे अंकित प्रशासनिक इकाई/कार्यालय हेतु लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है:—

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी	प्रशासनिक इकाई/कार्यालय
1.	वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार (CA& FA)	लेखा एवं वित्त
2.	निदेशक, केन्द्रीय पुस्तकालय	केन्द्रीय पुस्तकालय
3.	निदेशक, पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय (FYLC)	पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय (FYLC)

उक्त सम्बन्ध में कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे।

उक्त लोक सूचना अधिकारीगण 'सूचना का अधिकार अधिनियम—2005' के तहत वर्णित समर्त दायित्वों का निर्वहन करते हुए निर्धारित समय में इस अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करायेंगे।

संलग्न : पूर्व आदेश पत्र क्रमांक 2954 दिनांक 19.6.2006
एवं 3767 दिनांक 20.12.2008

कुलसचिव

क्रमांक :— सू.अ.प्र. / 2012 / 3463-3561

दिनांक 14-2-12

प्रति निम्न को प्रेषित है :—

1. उप सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह, राजस्थान सरकार, गृह (गृप-5) विभाग को परिपत्र क्रमांक प.9(23) गृह-5 / 2005 दिनांक 3.10.05 के क्रम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय, सी-विंग, वित्त भवन, जनपथ, राजस्थान विधानसभा के पास, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्राचार्य/वि.वि. अभियंता/सचिव/इंचार्ज/मुख्यकुलानुशासक/मुख्य आवासाधिकारी (छात्र/छात्रा), रा.वि.वि., जयपुर।
6. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।
7. निदेशक, केन्द्रीय पुस्तकालय, रा.वि.वि., जयपुर।
8. निदेशक, पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय (FYLC), रा.वि.वि., जयपुर।
9. प्रशासनिक सचिव, कुलपति, रा.वि.वि., जयपुर।
10. निजी सचिव कुलपति/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।

कुलसचिव



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

क्रमांक : पी.एस./रजि./2008/३/८७

दिनांक : २५.११.०८

कार्यालय-आदेश

कुलपति महोदय के आदेशानुसार तथा इस संदर्भ में पूर्व आदेश सं. 2954 दिनांक 19.6.2006 के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के आगे ऑफिचल प्रशासनिक इकाई/कार्यालय हेतु लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी	प्रशासनिक इकाई/कार्यालय
1.	विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग	अंग्रेजी विभाग
2.	विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग	संस्कृत विभाग
3.	विभागाध्यक्ष, उद्योग एण्ड पर्सेन्यन विभाग	उद्योग एण्ड पर्सेन्यन
4.	विभागाध्यक्ष, विदेशी भाषा विभाग	विदेशी भाषा विभाग
5.	विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग	हिन्दी विभाग
6.	विभागाध्यक्ष, पश्चिमांश विभाग	पश्चिमांश विभाग
7.	विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग	संगीत विभाग
8.	विभागाध्यक्ष, चित्रकला विभाग	चित्रकला विभाग
9.	विभागाध्यक्ष, नाट्य विभाग	नाट्य विभाग
10.	विभागाध्यक्ष, राजनीतिक विज्ञान विभाग	राजनीतिक विज्ञान विभाग
11.	विभागाध्यक्ष, लोक प्रशासन विभाग	लोक प्रशासन विभाग
12.	विभागाध्यक्ष, अध्यास्त्र विभाग	अध्यास्त्र विभाग
13.	विभागाध्यक्ष, इतिहास संस्कृति विभाग	इतिहास संस्कृति विभाग
14.	विभागाध्यक्ष, सामाज शास्त्र विभाग	सामाज शास्त्र विभाग
15.	विभागाध्यक्ष, भर्जोविज्ञान विभाग	भर्जोविज्ञान विभाग
16.	विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग	भूगोल विभाग
17.	विभागाध्यक्ष, कारखाने शास्त्र विभाग	कारखाने शास्त्र विभाग
18.	विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग	रसायन शास्त्र विभाग
19.	विभागाध्यक्ष, भूगर्भ विज्ञान विभाग	भूगर्भ विज्ञान विभाग
20.	विभागाध्यक्ष, गणित विभाग	गणित विभाग
21.	विभागाध्यक्ष, भौतिक शास्त्र विभाग	भौतिक शास्त्र विभाग
22.	विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	प्राणीशास्त्र विभाग
23.	विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग	गृह विज्ञान विभाग
24.	विभागाध्यक्ष, रासायनिक विभाग	रासायनिक विभाग
25.	विभागाध्यक्ष, यूरेशिक विभाग	यूरेशिक विभाग
26.	विभागाध्यक्ष, व्यावसायिक प्रशासन विभाग	व्यावसायिक प्रशासन विभाग
27.	विभागाध्यक्ष, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग	आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग
28.	विभागाध्यक्ष, लेखा एवं व्यावसायिक सारिंजकीय विभाग	लेखा एवं व्यावसायिक सारिंजकीय विभाग
29.	विभागाध्यक्ष, विधि विभाग	विधि विभाग
30.	विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग	शिक्षा विभाग
31.	विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय विज्ञान विभाग	पुस्तकालय विज्ञान विभाग
32.	विभागाध्यक्ष, गगनवशास्त्र विज्ञान विभाग	गगनवशास्त्र विज्ञान विभाग
33.	विभागाध्यक्ष, सूचना एवं जनरेंसर केन्द्र	सूचना एवं जनरेंसर केन्द्र
34.	विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा विभाग	शारीरिक शिक्षा विभाग
35.	निदेशक, पूर्व प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र	पूर्व प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र
36.	निदेशक, राजस्थान रस्टडीज सेन्टर	राजस्थान रस्टडीज सेन्टर
37.	निदेशक, सेन्टर फार जैन रस्टडीज	सेन्टर फार जैन रस्टडीज
38.	निदेशक, इन्डिरा गांधी रस्टडीज फार हीमा	इन्डिरा गांधी रस्टडीज फार हीमा
39.	निदेशक, गांधीयन रस्टडीज सेन्टर	गांधीयन रस्टडीज सेन्टर
40.	निदेशक, दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र	दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र



41.	निदेशक, इन्हींदूसूर ऑफ इनार्मेनेशन एण्ड इन्स्ट्रुमेंटेशन	इन्हींदूसूर ऑफ इनार्मेनेशन एण्ड इन्स्ट्रुमेंटेशन
42.	निदेशक, सेन्टर फॉर कनवर्जिंग टेक्नोलॉजी	सेन्टर फॉर कनवर्जिंग टेक्नोलॉजी
43.	निदेशक, सोशल एण्ड रिसार्च सेन्टर	सोशल एण्ड रिसार्च सेन्टर
44.	निदेशक, महिला अध्ययन केन्द्र	महिला अध्ययन केन्द्र
45.	निदेशक, नेहरू अध्ययन केन्द्र	नेहरू अध्ययन केन्द्र
46.	निदेशक, म्यूजोलोजी एण्ड कन्वर्जन	म्यूजोलोजी एण्ड कन्वर्जन
47.	निदेशक, पी.जी. स्कूल ऑफ कॉमर्स	पी.जी. स्कूल ऑफ कॉमर्स
48.	निदेशक, समाज शास्त्र विज्ञान भवन	समाज शास्त्र विज्ञान भवन
49.	निदेशक, गानविकी पौड भवन	गानविकी पौड भवन
50.	निदेशक, प्रौढ एवं सतत शिक्षा विभाग	प्रौढ एवं सतत शिक्षा विभाग
51.	निदेशक, ज्योतिरेश्वान	ज्योतिरेश्वान विभाग
52.	समन्वयक, एन.एस.एस.	एन.एस.एस.
53.	समन्वयक, एन.सी.सी.	एन.सी.सी.
54.	समन्वयक, सी.डी.री.	सी.डी.री.
55.	समन्वयक, एस.ए.पी. इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक्स	एस.ए.पी. इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक्स
56.	समन्वयक, एस.ए.पी. (डीआरएस-1) इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	एस.ए.पी. (डीआरएस-1) इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
57.	समन्वयक, नॉन कनवर्जनल एनजी सोसेज	नॉन कनवर्जनल एनजी सोसेज
58.	समन्वयक, फाईन आर्ट्स	फाईन आर्ट्स
59.	समन्वयक, यूजीसी -डीपरए प्रोग्राम इन इकोनोमिक्स	यूजीसी -डीपरए प्रोग्राम इन इकोनोमिक्स
60.	प्राचार्य, विधि गहाविद्यालय, कैन्ट ॥	प्राचार्य, विधि गहाविद्यालय, कैन्ट ॥ (सायकालीन)
61.	विवि. अभियन्ता	अभियन्ता समर्थनिय
62.	सचिव स्पोर्ट्स बोर्ड	स्पोर्ट्स बोर्ड कार्यालय
63.	इंचोर्ज मेडिकल ऑफिसर	विवि. स्पोर्ट्स कार्यालय
64.	इंचार्ज, उद्यान विभाग	विवि. उद्यान विभाग
65.	मुख्यकुलानुशासक	मुख्यकुलानुशासक कार्यालय
66.	मुख्यावासाधिकारी (छात्र)	मुख्यावासाधिकारी कार्यालय (छात्र)
67.	मुख्यावासाधिकारी (छात्रा)	मुख्यावासाधिकारी कार्यालय (छात्रा)

उपर सम्बन्ध में कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय आपौल आधिकारी होंगे।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार के रथान पर उप कुलसचिव, प्राप्त एण्ड प्रोजेक्ट (पी.एस.) नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए सम्बन्धित से समस पर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु समन्वयन करेंगे।

सलागन : पूर्व आदेश पत्र क्रमांक 2954 दिनांक 19.6.06

—f—
कुलसचिव

क्रमांक : पी.एस./रजि./2008/ २३६८

दिनांक : २०.५.२००८

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :

- उप सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- मिजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, गृह, राजस्थान सरकार, गृह (मुप-१), विभाग क्रमांक १०.७(३) गृह-५/२००५ दिनांक ३.०.०५ के तह पर्याप्त है।
- मिजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा राज्यसंघ सरकार, जयपुर।
- सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय, ओटी.एस. भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्राचार्य/विवि. अभियन्ता/सचिव/इंचार्ज/मुख्यकुलानुशासक/मुख्य आवासाधिकारी (भवि./वा.वा.), स.वि.वि., जयपुर।
- प्रशासनाधिक सचिव, कुलपति, स.वि.वि., जयपुर।
- मिजी सचिव कुलपति/कुलसचिव, स.वि.वि., जयपुर।

—f—
कुलसचिव (२००८)

२५.६.०६

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

क्रमांक : पी.एस./ रजि./ २००६/२३५५

दिनांक : १५.६.०६

कार्यालय-आदेश

कुलपति महोदय के आदेशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम-२००५ की धारा-५(१) के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय के निच्छ अधिकारियों को उनके नाम से आगे अंकित प्रशासनिक इकाई/ कार्यालय हेतु लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी	प्रशासनिक इकाई / कार्यालय
1.	प्राचार्य, गहाराजा कॉलेज	महाराजा कॉलेज
2.	प्राचार्य, महाराजी कॉलेज	महाराजी कॉलेज
3.	प्राचार्य, कॉमर्स कॉलेज	कॉमर्स कॉलेज
4.	प्राचार्य, राजस्थान कॉलेज	राजस्थान कॉलेज
5.	प्राचार्य, विधि महाविद्यालय	विधि महाविद्यालय
6.	निदेशक	पोद्दार प्रबन्धन संरथान
7.	समन्वयक	इच्छानेट एन्टर
8.	रजिस्ट्रार	केबीया इकाई / कार्यालय
9.	परीक्षा नियन्त्रक	परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय
10	निदेशक	इन्पॉन्ट सैटर

उक्त सम्बन्ध में कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय अपील अधिकारी होंगे।

अतिरिच्च रजिस्ट्रार को गोड़ल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए संबंधित से संगत पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक संगठन बनेंगे।

उक्त लोक सूचना अधिकारीगण 'सूचना का अधिकार अधिनियम-२००५' के तहत परिसिंह सागर साहित्यों का निर्देशन करते हुए नियांत्रित संगत भौतिक अधिनियम-२००५ के प्रावधारों के अनुसार संबंधित को प्रोत्तेज सूचना उपलब्ध करायेंगे।]

रजिस्ट्रार

क्रमांक : पी.एस./ रजि./ २००६/२३५५

दिनांक : १५.६.०६

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-

- (1) उप सचिव, गहाराजा राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- (2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह, राजस्थान सरकार, गृह (गृह-५), विभाग को परिपत्र क्रमांक प.७(२३)गृह-५/ २००५ दिनांक ३-१०-०५ के क्रम में
- (3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- (4) प्राचार्य, गहाराजा कॉलेज / गहाराजी कॉलेज / कॉमर्स कॉलेज / राजस्थान कॉलेज / विधि गहाविद्यालय (सायंकालीन/ प्रातःकालीन), जयपुर।
- (5) निदेशक, पोद्दार प्रबन्धन संरथान, जयपुर।
- (6) सागरस्थान, इच्छानेट एन्टर, संगठन विश्वविद्यालय, जयपुर।
- (7) अतिरिच्च रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- (8) परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- (9) निजी सचिव, कुलपति, कुलपति प्रबन्धन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

रजिस्ट्रार